न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 02 / 2008

प्रार्थी:— बनाम अप्रार्थीगण :—

1 गिरधारी पुत्र चुनाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट

1 वसना पुत्र उदाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट
2 दुर्गा पुत्र उदाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट
3 खंगारा पुत्र उदाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट
4 पेमा पुत्र उदाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट के
का0मु0
1.1 सुमित्रा पत्नि पेमा जाति नाई
निवासी चेण्डा
1.2 भागु पुत्री पेमा जाति नाई
निवासी सापरिया तहसील
आहोर जिला जालोर
1.3 पूरण पुत्री पेमा
1.4 कौशल्या पुत्री पेमा
1.5 उषा पुत्री पेमा
1.6 पुषा पुत्री पेमा जातिगण नाई
निवासीगण चेण्डा तहसील
पाली अप्रार्थी संख्या 1.3 से 1.
6 नाबालिग जरिये कुदरती
वलीया माता सुमित्रा
5 भंवरा पुत्र उदाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट
6 अमराराम पुत्र चुनाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट
7 अजाराम पुत्र चुनाजी जाति नाई
निवासी चेण्डा तहसील रोहट
8 राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार पाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

—: निर्णय :—

दिनांक 18/12/2017

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर राजस्व प्रकरण संख्या 01/2001 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2004 को पुनर्विलोकित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2001 में दिनांक 15.01.2004 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। आदेश दिनांक 15.01.2004 के दो पेशीयों पूर्व प्रार्थी ने एडीएम साहब से निवेदन किया कि इस मुकद्दमें में रेकर्ड नही आ रहा है, जिससे रेकर्ड मंगवाकर जल्दी कार्यवाही कराने का निवेदन किया, इस पर ए0डी0एम0 साहब ने पत्रावली देखकर सायल को कहा कि प्रकरण नियमन का है तथा रेकर्ड के बिना फैसला नही किया जा सकता है। इस फाईल को उपखण्ड अधिकारी पाली को रिमाण्ड करने के निर्देश दिये। इस पर प्रार्थी इस भ्रम में रह गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिमाण्ड किया जा चुका है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पाली के कार्यालय में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उनका प्रकरण अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जा चुका है। इस पर प्रार्थी द्वारा प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार करावे एवं प्रकरण संख्या 0122001 में एकतरफा आदेश दिनांक 15.01.2004 को निरस्त कराते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य दौराने विचारण ही राजीमाना हो चुका था, इस कारण पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी थी, किन्तु नियत तारीख पेशी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विशुद्ध रूप से म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने से स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात क अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 15.01.2004 को पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा

अति० जिला कलेक्टर, पाली

–विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनवाई से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। मूल रेकर्ड अभिलेखागार को लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली